



540

9

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 12017/निगरानी

R 162- I 17

खूबसिंह पुत्र राधेलाल कुशवाह, निवासी-  
स्वरूपनगर तह. बासोदा जिला विदिशा म.प्र.

.....आवेदक

श्री. लखन सिंह यादव का  
द्वारा आज दि 9-1-17 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

रामबाई पुत्री राधेलाल कुशवाह निवासी-  
डिडोली तह. बासोदा जिला विदिशा म.प्र.

.....अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के  
तहत तहसीलदार महोदय तहसील बासोदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक  
25/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 के  
विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक का निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

- यहकि, आवेदिका द्वारा अतरिक्त तहसीलदार महोदय बासोदा जिला विदिशा के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत ग्राम स्वरूप नगर तहसील बासोदा जिला विदिशा की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 222/2/क/3 रकवा 0.169 हैक्टे. भूमि के बटवारे का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि उक्त विवादित भूमि में अनावेदिका का कोई स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य नहीं है विवादित भूमि पर आवेदिका द्वारा कभी खेती नहीं

*(Handwritten signature)*

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-162-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	